2026/72

फर्द अहकाम

(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ

नरेशकुमार आदि बनाम प्रयागचन्द आदि

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,53 आरटीएक्ट प्रकरण संख्या 61 वर्ष 2026

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
02.02.2026	वकील वादीगण द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 23.02.2026 को पेश हो।	
18.2.2026	वकील वादी प्रार्थना-पत्र निकाल पेशी पेश करते पर पत्रावली को पेशी में लिया गया। मुलाहिजा फरीकैन उपस्थित। वादी व प्रतिवादी द.ला 13 ते हाजिर-अदालत आकर राजीनामा पेश किया जिसे वाद तरीके दाखिल फाईल किया गया। पत्रावली अगले स्टे. जवाब आईन्दा तारीख 20.2.2026 को पेश हो।	नरेश मनीष 9.by me Ashok प्रयागचन्द रामकिशन कृष्णलाल नन्दलाल राजेश Nimmal
20.2.26	मुलाहिजा फरीकैन उपस्थित/PO मुद्दा मजकूर पत्रावली [illegible] 23.2.2026 को पेश हो	
23.2.2026	मुलाहिजा फरीकैन उपस्थित। रोज जवाब प्राप्त हुआ। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली पर उपलब्ध दिनांकित आदि व वादी प्रतिवादी के राजीनामा के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाता है। पूर्ण निकाल सहित डिक्री पृथक अलग से लिखाया जाकर [illegible] किया जावे। पत्रावली नम्बर [illegible] तरमीम तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।	निर्मला भारतिया अनुराधा 9.by me [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2026.02.27 11:49:10 IST
Reason: SelfAttested